सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 25 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :– 01.02.2023

GCMS ID–2023 / 176

1. शोभागमल आ0 शोनाथ जाति राजपूत निवासी मांगलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
2. रतनलाल आ0शोनाथ जाति राजपूत निवासी मांगलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
2. मोहन आ0 भुवाना जाति कीर निवासी मांगलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
3. लाली पत्नी सीताराम जाति कीर निवासी मांगलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
4. रानी पत्नी राकेश जाति कीर निवासी मांगलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
5. महेन्द्रसिंह आ0 नाहरसिंह जाति राजपूत निवासी मांगलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थी :– श्री विजय माहेश्वरी
वकील अप्रार्थीगण :– श्री नवेद केसर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी राज

दिनांक :– 17 / 04 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 207 की कृषि भूमि खसरा संख्या 797 / 515 रकबा 0.7284 हैक्टेयर, खसरा संख्या 798 / 515 रकबा 0.4856 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.2140 हैक्टेयर विस्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ग्राम मांगलीकला पटवारी मांगलीकला तहसील हिण्डोली में ही खाता संख्या 159 की कृषि भूमि खसरा संख्या 514 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा संख्या 688 / 515 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा संख्या 689 / 515 रकबा 0.3237 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.2141 हैक्टेयर विस्थिति है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज चली आ रही है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

काश्त चला आ रहा है। ग्राम मांगलीकला का खाता संख्या 265 की कृषि भूमि खसरा संख्या 516 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, खसरा संख्या 517 रकबा 0.2347 हैक्टेयर, खसरा संख्या 675/457 रकबा 0.6475 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.1574 हैक्टेयर विस्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण आपस में सगे भाई है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमिया पास पास ही विस्थित है जिन पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपने स्वामित्व की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमियों पर गांव मांगलीकला से श्मशान घाट की ओर जाने वाले रास्ते जो भूमि खसरा संख्या 504 व खसरा संख्या 501 के मध्य बना हुआ है से भूमि खसरा संख्या 504, 519 में होते हुए भूमि खसरा संख्या 518 की पूर्वी व दक्षिणी मेर पर बने रास्ते से होते हुए अपने स्वामित्व की भूमियों पर आते जाते है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेतों पर कृषि यंत्र, खाद बीज फसल आदि को ले जाते रहे है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की उक्त भूमियों पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। भूमि खसरा संख्या 504, 518 व 519 राजकीय सिवायचक भूमिया है जिन पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अभी दिसम्बर 2022 में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने प्रार्थीगण की भूमियों पर आने जाने वाले रास्ते जो राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 504, 518 व 519 में बना हुआ था, पर जबरन अवैध अतिक्रमण कर प्रार्थीगण की भूमियों पर जाने वाले उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया एवं विरोध करने पर लडाई झगडा करने व मारपीट करने पर आमादा हुए। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा उक्त रास्ता बन्द कर देने पर प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार हिण्डोली को शिकायत पेश की जिस पर श्रीमान तहसीलदार हिण्डोली द्वारा मौके पर जाकर उक्त रास्ते को बहाल करवाया गया किन्तु बावजूद इसके अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 आऐ उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर प्रार्थीगण की भूमियों पर आने जाने में व्यवधान उत्पन्न करते है एवं विरोध करने पर लडाई झगडा व मारपीट करने पर आमादा होते है। प्रार्थीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमियों पर आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा अतिक्रमण कर बन्द कर देने पर प्रार्थीगण अपनी भूमियों पर नहीं आ जा पाऐगे इससे प्रार्थीगण अपने स्वामित्व की भूमियों के उपयोग उपभोग से ही वंचित हो जावेगे। प्रार्थीगण के पास अपने स्वामित्व की चरण संख्या 1 लगायत 3 में वर्णित भूमियों पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण को भूमि खसरा संख्या 504, 519 व खसरा संख्या 518 की पूर्वी व दक्षिणी मेर पर 12 फुट चौडा रास्ता दिलाया जाना एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते में आने जाने वाली भूमि की कीमत नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 राज्य सरकार को अदा करने को तत्पर एवं तैयार है। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिसम्बर 2022 में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा भूमि खसरा संख्या 504, 518 व 519 में बने रास्ते पर अतिक्रमण कर बन्द कर देने व प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आने जाने नहीं देने पर उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने के साथ पेश है। अतः प्रार्थीगण की प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की चरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

संख्या 1 लगायत 4 में वर्णित भूमियों पर आने जाने हेतु कृषि भूमि खसरा संख्या 504, 519 व खसरा संख्या 518 की पूर्वी व दक्षिणी मेर के सहारे बने 12 फुट चौडे रास्ते को बाजार कीमत पर द्विए जाने का आदेश प्रदान करते हुए रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/620 दिनांक :–24.03.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 207, 159, 265 वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला में आने जाने हेतु गांव मांगलीकला से श्मशान घाट की ओर जाने वाले रास्ते की भूमि खसरा संख्या 504 व 501 के मध्य रास्ता बना हुआ है, से भूमि खसरा संख्या 504, 519 में होते हुए खसरा संख्या 518 की पूर्वी व दक्षिणी मेर पर बने हुए रास्ते से अपने स्वामित्व की भूमियों पर आते जाते है। उक्त भूमियॉ राजकीय सिवायचक है जिन पर अप्रार्थी 2 लगायत 5 आए दिन अवरोध उत्पन्न करते है व रास्ता बंद करने की धमकिया देते है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 504, 519 व 518 की पूर्वी व दक्षिणी मेर पर 12 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 504, 519, 518 में से 15 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 207, 265 व 159 वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला में आने–जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मांगलीकला के सिवायचक खसरा नम्बर 504 में से 15 फीट चौडे व 425 फीट लम्बे रास्ते में कुल (0.0593 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 519 में से 15 फीट चौडे व 160 फीट लम्बे रास्ते में कुल (0.0223 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 518 में से 15 फीट चौडे व 245 फीट लम्बे रास्ते में कुल (0.0342 हैक्टेयर) भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा संख्या 504, 519, 518 की डीएलसी राशि 1230000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली कुल भूमि 0.1158 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 142434/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 284868/रू– को प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित मद में राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 17.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

17/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446